केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली–110 067

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 SEP 2020
D. No.........
Initials.........

CICOM/A/P/20/00074
CICOM/R/P/20/00152

अपीलकर्ता का नाम : श्री पुरूषोत्तम दास वर्मा
निवासी–एस.सी.–63, शास्त्री नगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	24.02.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	05.06.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री आर0 सीताराम मूर्ति, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार।
4.	प्रथम अपील की तिथि	04.07.2020
5.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	31.08.2020
6	निर्णय की तिथि	21.09.2020

1. वाद का संक्षीप्त विवरण :

अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से अपने पांच द्वितीय अपीलों, संख्या CIC/CANBK/A/2017/132131, CIC/CANBK/A/2017/152793, CIC/CANBK/A/2017/132129, CIC/CANBK/A/2017/132138, और CIC/CANBK/A/2017/152791, जिनका निस्तारण आयोग द्वारा दिनांक 24.10.2019 को सुनवाई उपरांत किया गया था, का हवाला देते हुए उक्त द्वितीय अपीलों के संदर्भ में यदि संबंधित सूचना प्रतिवादी पक्ष द्वारा आयोग को प्रेषित की गयी है, तो उसे प्रदान करने की मांग की थी। अपीलकर्ता ने अपने आरटीआई आवेदन में यह दलील प्रस्तुत की है कि आयोग ने उक्त द्वितीय अपीलों के संदर्भ में आयोग ने प्रतिवादी पक्ष को यह निर्देश दिया था कि प्रार्थी को सूचना प्रेषित किया जाए, जो प्रार्थी को प्रदान नहीं की गयी है।

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :

अपीलकर्ता के उक्त आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री आर0 सीताराम मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि "आपको यह सूचित करना है कि आयोग के आदेश दिनांक 14.11.2019 के पैरा 6 एवं 5.1 में क्रमशः उल्लिखित है कि आपको सूचना पहले ही दी जा चुकी है एवं आपने यह स्वीकार भी किया है कि सूचना आपको मिल चूकी है।"

3. प्रथम अपील का आधार :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है। प्रार्थी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि आयोग के निर्देशानुसार उनके उक्त द्वितीय

अपीलों से संबंधित सूचना प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रदान नहीं की गयी है और यदि प्रतिवादी पक्ष ने आयोग को कोई सूचना प्रेषित की है, तो उसे प्रार्थी को प्रदान करने का निर्देश सीपीआईओ को जारी किया जाए।

4. निर्णय :

प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के संदर्भ में प्रार्थी को तथ्यात्मक वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है कि प्रश्नगत द्वितीय अपीलीय आदेश के अनुसार प्रार्थी को वांछित सूचना प्राप्त हो गयी है और द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत द्वितीय अपील में संबंधित प्रतिवादी पक्ष को सूचना प्रेषित करने का कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध के केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक – 21 सितम्बर, 2020

मीणाशर्मा 21/09/2020

(मीणा बलिमाने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि:-

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री सीताराम मूर्ति, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।